



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082021-228839  
CG-DL-E-09082021-228839

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2973]  
No. 2973]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2021/श्रावण 18, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2021/SHRAVANA 18, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2021

सं. 16/2015-2020

विषय: दिनांक 31.08.2021 तक आईईसी के संशोधन की अवधि में विस्तार और अगस्त, 2021 के दौरान आईईसी के अद्यतनीकरण हेतु शुल्कों में छूट के संबंध में।

का.आ. 3204(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के अध्याय-2 के पैरा 2.05 (घ) के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करती है:

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2.05 (घ)	आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके आईईसी विवरण को प्रत्येक वर्ष अप्रैल-जून की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतित किया जाए।	आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके आईईसी विवरण को प्रत्येक वर्ष अप्रैल-जून की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतित किया जाए। तथापि, केवल वर्तमान

	<p>तथापि, केवल वर्तमान वर्ष हेतु इस अवधि को एक और महीना अर्थात् 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाता है।</p> <p>यदि आईईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसकी ऑनलाइन पुष्टि करने की भी आवश्यकता है।</p>	<p>वर्ष हेतु इस अवधि को एक और महीना अर्थात् 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया जाता है।</p> <p>यदि आईईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसकी ऑनलाइन पुष्टि करने की भी आवश्यकता है।</p>
--	---	---

2. इसके अलावा, अगस्त, 2021 माह के दौरान किए गए आईईसी संशोधन हेतु प्रभारित किए जाने वाला शुल्क 'शून्य' रहेगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव: आईईसी संशोधन की अवधि 31.08.2021 तक केवल वर्ष 2021-22 हेतु बढ़ायी गयी है, और दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के दौरान आईईसी में किए जाने वाले संशोधनों पर कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/93/180/05/एम-12/पीसी-2(ख)/पार्ट- III/ई-1765]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2021

No. 16 /2015-2020

**Subject:** Extension in period of modification of IEC till 31.08.2021 and waiver of fees for IEC updation done during August, 2021- reg.

**S.O. 3204(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the provision in Para 2.05(d) of Chapter-2 of Foreign Trade Policy, 2015-2020 as under:

Para No.	Existing Provision	Revised Provision
2.05 (d)	<p>An IEC holder has to ensure that details in its IEC is updated electronically every year, during April-June period. However, for the current year only, this period is extended by another month i.e till 31st July, 2021.</p> <p>In cases where there are no changes in IEC details same also needs to be confirmed online.</p>	<p>An IEC holder has to ensure that details in its IEC is updated electronically every year, during April-June period. <b>However, for the current year only, this period is extended by another month i.e till 31st August, 2021.</b></p> <p>In cases where there are no changes in IEC details same also needs to be confirmed online.</p>

2. Further, fee to be charged for modification of IEC done during the month of August, 2021 will remain 'Nil'.

**3. Effect of this Notification:** Period of modification of IEC is extended for the year 2021-22 only till 31.08.2021, and no fee shall be charged on modifications carried out in IEC during the period upto 31st August, 2021.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/05/AM-12/PC-2[B]./Part-III/E-1765]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex- officio Addl. Secy.